26/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। प्रार्थनापत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते अवलोकन आदेश हेतु दिनांक 10/12/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

10/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ. 1955 का खारिज किया जाता है, विस्तृत आदेश पृथक से तैयार कर शा.प. किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी:- श्रीमति निशा सहारण

राजस्व वाद सं0 30/2014

1. बाबूलाल पुत्र लादू जाति गुर्जर निवासी सावंतसर गुर्जरो की ढाणी, मदनगंज किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर

वादी

विरुद्ध

1. गणेश पुत्र नाथूलाल
2. रतनलाल पुत्र गणेश
3. सीताराम पुत्र गणेश
   सर्व जाति माली निवासी आर.के. कॉलोनी लिंक रोड भैरू जी के मन्दिर के पिछे मदनगंज किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
4. ज्ञानचन्द महणोत पुत्र सज्जनसिंह जाति औसवाल निवासी औसवाली मौहल्ला मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर।
5. शशांक महणोत पुत्र सुरेन्द्रसिंह जाति औसवाल निवासी विनायक नगर मदनगंज किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर।

5/1 सुरेन्द्र महणोत पुत्र स्व. शान्तिलाल महणोत(पिता)

5/2 ऊषा महणोत पत्नि बाबूलाल महणोत(माता)

सर्व जाति औसवाल सर्व निवासी आर0के0 कम्युनिटी के सामने विनायक नगर मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

6. शाहबुद्दीन शेख पुत्र सुलेमान शेख जाति मुसलमान निवासी सिराणा रोड गांधीनगर मदनगंज किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ जिला अजमेर
8. उप-पंजीयक किशनगढ जिला अजमेर

— अप्रार्थीगण

## निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

## आदेश

दिनांक 10/12/24

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामदेव गुर्जर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने उपरोक्त उनवानी वाद पत्र वास्ते उद्धघोषणा खातेदारी/इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है। प्रार्थी की पुश्तैनी कब्जे कास्त शुद्धा बहैसियत खातेदारी की आराजी ग्राम मदनगंज पटवार हल्का मदनगंज भू-अभि0नि0 क्षैत्र किशनगढ में स्थित है।

| सा. खसरा संख्या | रकबा | एकीकरण खसरा संख्या | रकबा | हाल खसरा नम्बर | रकबा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1547 | 06-08-00 | 772 | 46-06-00 | 1215 | 46-06-00 |

उपरोक्त सारणी में वर्णित आराजी गत साबिक खसरा संख्या 1547 रकबा 06-08-00 को बरवक्त एकीकरण अन्य खसरा संख्या के साथ में मिलाकर खसरा संख्या 772 रकबा 46-06-00 से हाल खसरा संख्या 1215 रकबा 46-06-00 बने है उक्त सारणी मे हाल आराजी खसरा संख्या 1215 के रकबा 46-06-00 में से प्रार्थी साबिक खसरा संख्या 1547 के रकबा 06-08-00 की हद तक उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 में उपरोक्त वर्णित साबिक आराजी खसरा संख्या 1547 जो प्रार्थी की पुश्तैनी बतौर बैहसियत खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी सम्वत 2014-2018 में प्रार्थी के दादा बल्लभा पुत्र लालू कौम गुर्जर के नाम दर्ज है जो प्रार्थी अपनी पुश्तैनी आराजी पर आज दिनांक पूर्वजो के कब्जे काश्त अनुसार काबिज चला आ रहा है प्रार्थी को

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ, अजमेर

उक्त आराजी खसरा 1215 के रकबे में हाल खसरा संख्या 1212 से 1214 के मध्य लगती हुए भाग आराजी खसरा 1215 के रकबे में से 06-08-00 पर काबिज चला आ रहा है उक्त आराजी में प्रार्थी का हिस्सा निहित है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 में उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी अपने पूर्वजो के समय बतौर खातेदार काबिज चला आ रहा है जो प्रार्थी का आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व अर्थात सम्वत 2015 से पूर्व से बतौर काश्तकार एवं खातेदारी काश्तकार काबिज चला आ रहा है। जो प्रार्थी वर्णित आराजी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 व 19 एवं 19 के संशोधित उपबन्ध के तहत खातेदार हो गया है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 में आराजी गत खसरा संख्या 1547 रकबा 06-08-00 को बरवक्त एकीकरण खसरा संख्या 772 के रकबे में शामिल कर जो राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारियों ने गैर कानूनी रूप से 772 की सम्पूर्ण आराजी को सम्वत 2024 के अभिलेख में फतेहलाल पुत्र कन्हैयालाल कौम ब्राह्मण के नाम राजस्व अभिलेख बिना किसी अधिकार दर्ज कर दी गई। तत्पश्चात उक्त आराजी तथाकथित वरीयत के आधार पर नामान्तरकरण अजय पंडित पुत्र लक्ष्मीकान्त पंडित के नाम दर्ज की गई तथा अजय पंडित फौतगी की विरासत तस्दीक होने के बाद उनके वारिसान ने अप्रार्थी संख्या 1 व उसकी पत्नि जशोदा को बैचान करने पर नामान्तकरण 910 दिनांक 12.06.2003 को तस्दीक किया गया। नामान्तरकरण संख्या 2041 दिनांक 03.10.2011 को अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नि फौत होने की विरासत व हकत्याग आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष तस्दीक किया गया तथा हाल आराजी खसरा संख्या 1215 का विभाजन का नामान्तकरण संख्या 2074 दिनांक 09.3.2012 को तस्दीक किया गया अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आंशिक भाग का बैचान अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 को बैचान करने से क्रेता के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 2163 दिनांक 05.06.2013 को तस्दीक किया गया। उक्त समस्त इन्द्राज एवं बैचानें प्रार्थी के हक व अधिकार के विरूद्ध शून्य प्रभावी है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 में उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी अपने पूर्वजो के समय से लगातार बतौर खातेदार काबिज चला आ रहा है। उक्त आराजी पर राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के समय अर्थात सम्वत 2015 से पूर्व से बतौर काश्तकार एवं बतौर खातेदार कास्तकार काबिज चले आ रहे, जो प्रार्थी वर्णित आराजी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 व 19 एवं 19 के संशोधित उपबन्ध के तहत खातेदार हो गया है, जो अप्रार्थीगण के नाम दर्ज इन्द्राज को प्रार्थी के हक व अधिकार के हक तक निरस्त किया जावें, इसलिये प्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी में अपने निहित हिस्से की खातेदार घोषित किया जावे इसलिये माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद वास्ते उद्घोषणा खातेदारी/इन्द्राज दुरूस्ती हेतु प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण सेवा में प्रस्तुत किया गया जा चुका है। विवादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के नाम अधिकार अभिलेख में दर्ज होने से उक्त सम्पूर्ण आराजी को रहन बैचान किस्म परिवर्तन मुन्तकिल करने पर सख्त आमादा है, जबकि उक्त प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का हिस्सा निहित है जिसमें यादि वह सफल हो गये तो प्रार्थी अपनी खातेदारी काश्तकारी की आराजी से महरूम हो जायेगा एवं केतागण प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा होंगे। अतः प्रार्थी के कब्जे में दखलंदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न करने से तथा विवादित आराजीयात को रहन बैचान मुन्तकिल किस्म परिवर्तन करने से अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाने हेतु उक्त वाद माननीय न्यायालय के समक्ष वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण सेवा में प्रस्तुत किया जा चुका है। विवादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के नाम अधिकार अभिलेख में दर्ज होने से अप्रार्थीगण अजनबी केतागण को वादग्रस्त आराजी में से भूमि का विशेष भाग रहन बैचान व मुंतकिल करने पर सख्त आमादा है उक्त आराजी भूमि को खुर्द-बुर्द करने निर्माण कार्य करने भूमि की शक्ल परिवर्तित करने पर आमदा है तथा प्रार्थी को धमकी देते है कि उक्त हिस्से पर तुम्हारा कोई लेना-देना नही है अप्रार्थी अपने उक्त अवैधानिक कृत्य में सफल हो गये तो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त उनवानी वाद ही सारहीन हो जायेगा तो प्रार्थी अपनी पुश्तैनी बतौर खातेदारी/काश्तकारी की आराजी से महरूम हो जायेगा जिससे प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी, जिसकी पूर्ति नही की जा सकेगी। अतः प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में दखलंदाजी व मदाखलत उत्पन्न करने से तथा विवादित आराजीयात को रहन बैचान व मुंतकिल करने से अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल प्रार्थना जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावंद किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजी प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित अनुसार पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी व मदाखलत उत्पन्न करने तथा विवादित भूमि को रहन, बैचान भूमि को खुर्द-बुर्द करने निर्माण कार्य करने भूमि की शक्ल परिवर्तित करने मुन्तकिल करने से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल प्रार्थना पाबन्द फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र को दिनांक 19.03.2014 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 30/2014 पर दर्ज कर अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी किये गयें। अप्रार्थीगणों की ओर से वकील श्री प्रतीक मेहता उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी

वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 04.05.2018 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 वास्ते अप्रार्थी संख्या 05 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने बाबत का पेश किया जिसपर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर संशोधित शीर्षक रिकार्ड पर लिया गया।

वकील अप्रार्थी द्वारा दिनांक 06.12.2019 को जवाब पेश किया जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थनापत्र में विक्रम सम्वत् 2014 से 2018 की खसरा गिरदावरी बाबत् खातेदारी अधिकार हेतु जिस दस्तावेज फर्जी एवं कुटरचित है प्रार्थी ने राजस्व अधिकारी, कर्मचारीयो से मिलीभगती कर उक्त दस्तावेज तैयार करवाया है जिसके लिये प्रार्थी पर कुटरचित दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत करने एवं अपने हक अधिकार स्थापित करने बाबत् मुकदमा दर्ज करवाया जाना आवश्यक है और प्रार्थी का उपरोक्त वादग्रस्त भूमि से किसी प्रकार का कोई लेना देना नही होने से वाद पत्र व प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है, जवाबकर्तागण वादग्रस्त कृषि आराजियात के रिकार्डेड खातेदार है जिसके द्वारा उपरोक्त भूमि मूल्यवान प्रतिफल राशि अदा कर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की गई और जवाबकर्तागणो का राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार इन्द्राज है और विधि अनुपरूप रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही की जा सकती है, प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 के जवाब में लेख है कि प्रार्थी ने मिथ्या तथ्यो के आधारो पर एक झुठा वाद प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी सफलता मिलने की कतई संभावना नही है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2, 3, व 4 के जवाब में ले है कि उपरोक्त पैरा में वर्णितानुसार भूमि से प्रार्थी अथवा उसके पूर्वजो का किसी प्रकार कोई लेना देना नही है। बल्कि इसके पूर्व खातदेार फतेहलाल पुत्र कन्हैयालाल कौम ब्राह्मण से विधि अनुसार अन्तरण होकर उसका अमल दरामद किया जाकर बाद जवाबकर्तागणो को प्राप्त हुई है उपरोक्त भूमि के किसी भी हिस्से पर प्रार्थी के दादा बल्लभा पुत्र लालू कौम गुर्जर का न तो कब्जा था नहीं काश्त थी। जवाबकर्तागणो का ही अपनी खातेदारी भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थी ने फर्जी एवं कुटरचित दस्तावेज तैयार करवाकर उक्त झुठा वाद प्रस्तुत किया है अतः पैरा संख्या 2,3 व 4 के कथन गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 5 व 6 के जवाब में लेख है कि एकीकरण खसरा संख्या 772 को किसी भी प्रकार से राजस्व अधिकारियो एवं कर्मचारियो ने इसके पूर्व खातेदार फतेहलाल पुत्र कन्हैयालाल के हक में गलत तरीके से इन्द्राज नही की है और न ही प्रार्थी का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त है। भूमि के खातेदार द्वारा विधि अनुरूप अन्तरण के पश्चात राजस्व अधिकारी कर्मचारियो द्वारा राजस्व रिकार्ड में मौके की जांच कर इसके अंकन भी किये है ऐसी परिस्थिति में कोई भी राजस्व रिकार्ड गलत नही होने से उन पर किसी प्रकार का प्रश्न उत्पन्न किया जाना विधि के प्रावधानो के विपरित है और प्रार्थी द्वारा सम्वत 2024 के इन्द्राज को इतने वर्षो पश्चात चुनौतिग्रस्त करना प्रार्थी की दुर्भावना को साबिज करता है अतः पैरा संख्या 5 व 6 के समस्त कथन गलत एवं मिथ्या हाने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 7 के जवाब में लेख है कि वादग्रस्त आराजी पर कभी भी न तो प्रार्थी न ही उसके किसी पूर्वाधिकारी का कोई कब्जा काश्त रहा है न ही उनका उक्त भूमि से कोई लेना देना है बल्कि जवाबकर्तागण उपरोक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिन्हे अपनी भूमि का पूर्णया उपयोग उपभोग करने का अधिकार प्राप्त है और उन्हे किसी भी प्रकार से पाबन्द किया जाना न्याय के उद्देश्यो के विपरित है अतः पैरा संख्या 7 के कथन गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 8 के जवाब में लेख है कि प्रार्थी ने वाद कारण से संबंधित समस्त कथन मिथ्या एवं वेग किये है जवाबकर्तागणो की खातेदारी भूमि पर जवाबकर्तागण को पूर्ण अधिकार है प्रार्थी ने फर्जी एवं कुटरचित राजस्व रिकार्ड रचकर झुठा प्रार्थना पत्र दीर्घ अवधि पश्चात प्रस्तुत किया है न तो प्रार्थी का कब्जा है एवं न ही काश्त है ऐसी स्थिति में प्रार्थी के हक में किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नही है। जवाबकर्तागण वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है जिन्होंने मूल्यवान प्रतिफल राशि अदा कर भूमि खरीद की है और उसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया है ऐसी स्थिति में जवाबकर्तागण रिकार्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सुंतलन जवाबकर्तागणो के हक में होने से उनके विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो जावबकर्तागणो को ही अत्यन्त असुविधा होगी। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र फर्जी कुटरचित दस्तावेज के आधार पर जवाबकर्तागणो को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गाय है जो मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जाने के आदेश प्रदान करावें।

दिनांक 26.11.2024 को हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र तथा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया।

हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध हाल जमाबन्दी खसरा संख्या 1215 ग्राम मदनगंज से जाहिर है कि उक्त भूमि के वर्तमान में अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है तथा पूर्ववर्ती राजस्व रिकार्ड में भी अप्रार्थीगणों के पूर्वाधिकारी के नाम वादग्रस्त भूमि दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

प्रथम दृष्टया प्रकरणः– वादअधीन भूमि वर्तमान मे अप्रार्थीगणो के नाम दर्ज है तथा अप्रार्थीगण वाद अधीन भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है।

सुविधा का संतुलनः– वादअधीन भूमि के रिकार्डेड खातेदार होने तथा भूमि पर अप्रार्थीगण के काबिज काश्त होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अपूरणीय क्षतिः– अप्रार्थीगण वाद अधीन भूमि के रिकार्डेड खातेदार है यदि अप्रार्थीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया तो अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण को कारित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अस्वीकार कर खारीज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10/12/24 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निशा सहारण (आर.ए.एस)<br>
उपखण्ड अधिकारी<br>
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)